

प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्धारित प्रतिमान/मान

- (क) समय सारणी ,यदि संस्था अ- लिपिक - 8 दिवस
द्वारा निर्धारित की गयी है। ब- कार्यालय अधीक्षक - 4 दिवस
स- सक्षम अधिकारी स्तर - 3 दिवस
पर निर्णय.
द- ठेकेदारों का पंजीयन, - संलग्न परिशिष्ट
भू-अर्जन एवं पुनर्वास 'अ' अनुसार
संबंधित आवेदनों का
निराकरण.

- (ख) गुणवत्ता मान,यदि संस्था पृथक से कोई गुणवत्ता मान निर्धारित नहीं है।
द्वारा निर्धारित किये गये है। सभी प्रकरणों का निपटारा नियमों के अंतर्गत
किया जाता है ।

- (ग) प्रति वर्ष किये जाने वाले कार्यो की मात्रा/लक्ष्य
ऐसे, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

परिशिष्ट 'अ'

कार्य गतिविधि / योजना का नाम	प्रभारी /विहित/ अधिकारी	निपटारे की समय-सीमा	निर्धारित समयावधि मे जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जानी है उसका पद नाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
2	3	4	5	6
(1) वर्ग-डी एवं वर्ग सी	कार्यपालन यंत्री	30 दिवस	संबंधित अक्षीक्षण यंत्री	15 दिन
(2) वर्ग- बी	अधीक्षण यंत्री	30 दिवस	मुख्य अभियन्ता	15 दिन
(3) वर्ग-ए-1एवं 2 एल-1 एस-2	मुख्य अभि (रूपां)	45 दिवस	सदस्य अभियांत्रिकी	15 दिन
(4) वर्ग-ए-3 एवं ए-5 एस-3 से एस-5	मुख्य अभि(रूपां)	45 दिवस	उपाध्यक्ष,न.घा.वि.प्रा.	15 दिन
(5) परियोजना के डूब क्षेत्र के भू- अर्जन पुनर्वास से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निराकरण	भू-अर्जन अधिकारी	30 दिवस	संबंधित संचालक पुनर्वास	15 दिन
(6) भू-अर्जन के पश्चात मुआवजे का भुगतान	भू-अर्जन अधिकारी	1 माह	संचालक पुनर्वास	15 दिन
(7) मुआवजे संबंधित आवेदनो का निपटारा	भू-अर्जन अधिकारी	1 माह	संचालक पुनर्वास	15 दिन
(8) मजदूरी भुगतान हेतु आवेदनों का निपटारा	वन मण्डलाधिकारी भू-संरक्षक अधिकारी	7 दिवस	सदस्य वन / संचालक कृषि	7 दिन